भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2524

उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत रोकी गई धनराशि

†2524. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समग्र शिक्षा केरल (एसएसके) और स्टार्स के अंतर्गत केंद्र के हिस्से के रूप में केरल को दी जाने वाली धनराशि को जारी नहीं किया है, यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ख) आज की तिथि तक समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत केरल को देय कुल बकाया का ब्यौरा क्या है और राज्य को इसका संवितरण करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने एसएसए निधि के संवितरण हेतु नई शर्तें लागू की हैं, यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि धनराशि के संवितरण में देरी के कारण केरल में शैक्षिक क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ड.) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार धनराशि के संवितरण में देरी के कारण केरल शिक्षा प्रणाली के बुनियादी ढाँचे से संबंधित पहल में हुई देरी को समाधान करने का विचार रखती है; और

(छ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (छ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में हैं। समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत मध्यवर्तनों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न घटकों के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिमानकों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक योजनाएं राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाती हैं और यह उनकी संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) में परिलक्षित होती है। इसके बाद, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से, योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों के अनुसार, इन योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन/प्राक्कलन किया जाता है। वित्त मंत्रालय और समग्र शिक्षा रूपरेखा द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं।

समग्र शिक्षा के अंतर्गत केरल के लिए वित्त वर्ष 2024-2025 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए क्रमशः 855.90 करोड़ रुपये और 741.58 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। समग्र शिक्षा और स्टार्स (राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों का सुदृढ़ीकरण) योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में केरल राज्य को जारी निधियां इस प्रकार हैं:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	समग्र शिक्षा	स्टार्स
2022-23	178.16	107.03
2023-24	141.65	150.56
2024-25	0.00	203.73
कुल	**319.81**	**461.32**

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, और अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बुनियादी स्तर ऐसी योजनाओं की संकल्पना, कार्यान्वयन और पर क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योजना को लागू करना और केंद्र प्रायोजित योजना के प्रावधानों और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का दायित्व है।

***